वर्ष 2019:

खण्ड - IV

राज्य सूचना आयोग द्वारा स्थापित मापमान

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(iv) के अंतर्गत)

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों/अपीलों के निराकरण के लिए पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त समय में अपील/शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर तैयार किया जाकर शासन को भेजा जाता है। अब तकवर्ष 2005-2006,-2007,-2008,-2009,-2010,-2011,-2012,-2013,-2014,-2015,-2016,-2017,-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है।